न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 114/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कानाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी ढाढरियाकलां तहसील डेगाना।		1सरकार जरिये उप तहसीलदार, सांजू। 2हल्का पटवारी, निम्बीचांदावता।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.03.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 163/2017 सरकार बनाम कानाराम में निर्णय दिनांक 05.10.17 के तहत मौजा ढाढरियाकलां के खसरा नं. 275 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. रास्ता व सडक भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.12.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये पारित किया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को वक्त निर्णय नही हो सकी। हाल ही में हल्का पटवारी के माध्यम से अपीलांट को दिनांक 9.11.17 को जानकारी हुई। तब अपीलांट ने दूसरे दिन ही तहसील में नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 10.11.17 को प्राप्त होने पर अपीलांट को प्रथम बार निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश है। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.17 पूर्णतया अवैध विधि विरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। क्योंकि नोटिस की पुश्त पर जो दस्तखत तामील कुनिन्दा द्वारा करवाये गये है। वह अपीलांट कानाराम के नही है। न ही कानाराम ने ऐसे कभी हस्ताक्षर किये है। अपीलांट की फर्जी तामील करवाकर उसके विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना हल्का पटवारी के बयान लिये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई साक्ष्य सबूत का अवसर दिये तामील के दिन ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–विवादित जायगा अपीलांट की खातेदारी के खेत के चिपती हुई आई हुई है कि हल्का पटवारी व तहसीलदार ने बिना किसी प्रकार का नाप चोप किये अवैध व विधि विरूद्व ढंग से अपीलांट के विरूद्व अपीलांट का मामला बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्णय पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम ढाढरियाकलां में स्थित गै.मु. रास्ता व सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस

अपर कलक्टर, नागौर

जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ढाढरियाकलां के खसरा नंबर 275 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. रास्ता व सडक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि की किस्म गै.मु. सडक व रास्ता राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर